

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 149/2019 (Bank Case)

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी विकास सिंह राठौड पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड , जिसका शाखा कार्यालय-पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय-प्लॉट 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 हैं।

- प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती चन्दा पत्नी श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)
(ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्री गिरिश पुत्र स्व० श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)
3. श्रीमती दुर्गेश पुत्री स्व० श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)
4. श्रीमती रेणु पुत्री स्व० श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)
5. श्रीमती गिरजा पुत्री स्व० श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)
6. श्रीमती अनतिमा पुत्री श्री स्व० श्री नन्द किशोर प्रजापति, निवासी- वार्ड नं० 30/रे 349, प्रेम नगर-3, भामाशाह मंडी रोड, जिला कोटा-324004 (राज०)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 24.12.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय-पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय-प्लॉट 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44,


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.08.2015 को रूपये 3,00,000/- (अक्षरे: रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति सर्वे नं० Ray No.-069/349, प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जो कि स्व० श्री नन्द किशोर के कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती चन्दा, श्रीमती दुर्गेश, श्री गिरिश, श्रीमती रेणू, श्रीमती गिरिजा एवं श्रीमती अनतिमा के नाम से हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 109.66 वर्ग फीट हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.06.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 4,27,653/- (अक्षरे चार लाख सत्ताईस हजार छः सौ तिरेपन रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 14.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं "दी इकोनोमिक्स टाईम्स" में दिनांक 19.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।


अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ने दिनांक 14.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं "दी इकोनोमिक्स टाईम्स" में दिनांक 19.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" एवं "दी इकोनोमिक्स टाईम्स" में दिनांक 19.12.2018 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति सर्वे नं० Ray No.-069/349, प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जो कि स्व० श्री नन्द किशोर के कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती चन्दा, श्रीमती दुर्गेश, श्री गिरिश, श्रीमती रेणू, श्रीमती गिरिजा एवं श्रीमती अनतिमा के नाम से हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 109.66 वर्ग फीट हैं, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय

जिला जजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को सुनाया गया ।



(आम कसेरा)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा

